FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

शिम्भुदयाल बनाम ग्राम पंचायत दयाल का नांगल

किस्म मुकदमा अपील विरूद्व नामान्तरकरण मु0नं0 13 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/998

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25 रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 614 ग्राम पंचायत दयाल का नांगल दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 11.06.2025 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/8/25 को पेश हों।	
18/08/2025	
पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में बहस अपीलान्ट अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.11.2024 बाबत नामान्तरकरण संख्या 614 ग्राम पंचायत दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।	
पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट की माता मिश्री देवी पत्नी सुगनाराम का देहान्त दिनांक 23.03.2013 को हो जाने पर पटवारी हल्का दयाल की नांगल ने नामान्तरकरण सं0 614 भरकर ग्रा.पं. दयाल की नांगल के द्वारा 07.11.2024 को तस्दीक किया गया था जिसमें अपीलान्ट के नाम 2/15 तथा मृतक मिश्री देवी के अन्य वारिसान लखमीचन्द के नाम 2/15, चौथमल के नाम 2/15, सन्तोष देवी के नाम 2/15, मन्जू पत्नी राजेश हिस्सा 2/45, आशीष का हिस्सा 2/45, पायल का हिस्सा 2/45 भरा जाकर तस्दीक किया जाना था लेकिन उक्त नामान्तरकरण बिलकुल गलत रूप से भरा जाकर मृतक मिश्री	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.10.06 15:17:25
Reason: SelfAttested

देवी के विधिक वारिसान के हिस्सा गलत रूप से अंकित कर दिया गया। जिस कारण विधि विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं।

अतः नामान्तरकरण संख्या 614 ग्राम दयाल की नांगल दिनांक 07.11.2024 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 614 ग्राम पंचायत दयाल की नांगल दिनांक 07.11.2024 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:17:25 IST
Reason: SelfAttested